बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना

दिनांक 30.04.2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाहीः–

बैठक की उपस्थिति :–

1. श्री अमृत लाल मीणा, प्रबंध निदेशक
2. श्री अभय कुमार, मुख्य महाप्रबंधक
3. श्री सुरेश्वर शर्मा, महाप्रबंधक (महाप्रबंधक / उत्तर / मुख्यालय)
4. श्री किशोर कुमार, महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा / प्रशासन / परियोजना)
5. श्री रामाश्रय साहनी, महाप्रबंधक (दक्षिण)
6. मो0 शमशाद, महाप्रबंधक (गुण नियंत्रण)
7. श्री तपेश्वर प्रसाद साह, महाप्रबंधक (वित्त)
8. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, (कंपनी सचिव)
9. श्री प्रदीप कुमार, वरीय वास्तुविद्
10. श्री संजीत कुमार सिन्हा, उप महाप्रबंधक (विद्युत)
11. सुश्री प्रज्ञा सिंह, आंतरिक सज्जाकार
12. श्री पंकज कुमार सिन्हा, आई0टी0मैनेजर

बैठक की कार्यवाहीः–

प्रबंध निदेशक द्वारा निगम के सभी कार्य कलापों की समीक्षा की गई तथा निम्नलिखित निदेश दिये गये :–

1. श्रम संसाधन विभाग बिहार द्वारा की योजना यथा कौशल विकास केन्द्र के निर्माण हेतु निविदा के संबंध में।

(i) प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि श्रम संसाधन विभाग, बिहार की योजना यथा कौशल विकास केन्द्रों का निर्माण कार्य दक्षिण बिहार के सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा किया जाना है। जिसके लिए जिलावार कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाये। साथ ही निम्नलिखित छोटे जिलों की निविदा एक साथ भी की जा सकती हैः–

क) जहानाबाद तथा अरवल का एक साथ;

ख) लक्खीसराय तथा मुंगेर का एक साथ ;

ग) जमुई तथा शेखपुरा का एक साथ।

(ii) निविदा प्रक्रिया ससमय शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया।

(iii) विभाग से प्राप्त 1200 वर्गफीट के वास्तुविदीय नक्शे के आधार पर निविदा किया जाना और जहाँ भूमि की उपलब्धता 1200 वर्गफीट से कम होगी वहाँ 750 वर्गफीट के नक्शे के आधार पर निर्माण कार्य किया जा सकता है, वैसे मामलों में कार्य की मात्रा अनुसार भुगतान होगा।

(iv) निविदा निष्पादन से पूर्व एक या दो प्री–बीड मीटिंग मुख्य महाप्रबंधक द्वारा कर लिया जाए।

(v) प्री–बीड मीटिंग में लिए गये निर्णय के आलोक में शुद्धि पत्र निकाला जा सकता है।

(vi) सभी संबंधित परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों से जमीन उपलब्धता की स्थिति अगले 10 दिनों के अन्दर सत्यापन करके उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया। सभी उप महाप्रबंधक

(vii) (पी0आई0यू0) से प्रमाण पत्र ले लें कि उन्होंने सत्यापन करा लिया है एवं जमीन को उपयुक्त पाया है।

(viii) इस कार्य हेतु श्री सुरेश्वर शर्मा, महाप्रबंधक मुख्यालय को नोडल पदाधिकारी बनाया गया।

(ix) पूर्ण निर्माण प्रक्रिया 31 अगस्त, 2016 तक पूर्ण कराने हेतु निदेश दिया गया।

(कार्रवाई–महाप्रबंधक, मु0)

2. निगम द्वारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं के संबंध में।

(i) नियोजन भवन के सातवें तल पर बिहार विकास मिशन के कार्यालय का आंतरिक सुसज्जीकरण कार्य के संबंध मे प्रबंध निदेशक द्वारा निदेशित किया गया की निविदा प्रक्रिया को अविलंब पूरा कर कार्य निष्पादित कराएं।

(कार्रवाई–महाप्रबंधक, द0)

(ii) पूर्व के सिविल सर्जन आवास, पटना की अपभ्रंश चाहरदिवारी को भवन निर्माण विभाग से संपर्क कर अविलंब ठीक कराया जाय ताकि उसमें अस्थायी आठ कोर्ट को शिफ्ट कराकर संयुक्त न्यायालय भवन का कार्य प्रारंभ किया जा सके।

(कार्रवाई–महाप्रबंधक, द0)

(iii) अदालत गंज में C टाईप क्वाटर जो G+7 है उसको G+8 बनाकर Comprehensive Plan रजिस्ट्रार जनरल से First Phase और Second Phase का approval लिया जाय।

(कार्रवाई–महाप्रबंधक, परामर्शी सेवा)

(iv) निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की Third Party Quality Assurance हेतु NIT, IIT आदि संस्थानों के माध्यम से जाँच कराने हेतु प्रस्ताव भेजें।

(कार्रवाई–महाप्रबंधक, परामर्शी सेवा)

(v) ए0 एन0 सिन्हा इन्स्टीच्यूट के असैनिक कार्यो से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन संचिका में प्रबंध निदेशक के माध्यम से संबंधित विभाग को दें। **(कार्रवाई–महाप्रबंधक, द0)**

3. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के वित्त के कार्यो से संबंधित निदेश।

(i) बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा कार्यान्वित सरकार के विभिन्न योजनाओं से संबंधित सेवाकर के भुगतान के संबंध में प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि सरकारी योजनाओं के निर्माण कार्य से संबंधित विपत्रों के भुगतान पर संभवतः सेवाकर का छुट प्रदान किया गया है। संबंधित नियमावली/आदेश/अधिसूचना आदि भवन निर्माण विभाग से प्राप्त कर सेवाकर भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करने हेतु महाप्रबंधक वित्त को निदेशित किया गया।

(ii) निगम के वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आन्तिरिक अंकेक्षक कि नियुक्ति के संबंध में महाप्रबंधक वित्त को निदेशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आन्तरिक अंकेक्षण कार्य के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति की कार्रवाई अविलंब किया जाए।

(iii) इस निगम का कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक हो गया है अतः महालेखकार द्वारा Performance Audit कराया जाय। इस संबंध में महालेखाकार को पत्र भेजने हेतु निदेशित किया गया।

(iv) निगम के सभी परियोजना कार्यान्चयन इकाईयों में पी0 एल0 खाता खोलने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने निदेश दिया गया।

(कार्रवाई–महाप्रबंधक, वित्त)

4. निगम के सभी परियोजना कार्यान्यवयन इकाईयों में 4mbps speed का Internet की सुविधा एक महीना के अंदर सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया।

(कार्रवाई–महाप्रबंधक, प्रशासन एवं आई0टी0 मैनेजर)

5. सभी महाप्रबंधक तथा पी0आई0यू0 के सभी उपमहाप्रबंधक, सभी सहायक महाप्रबंधक तकनीकि तथा सभी कनीय अभियंताओं को Android Mobile Phone उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में निदेशित किया गया था। इस संबंध में पुनः निदेश दिया गया कि विचार करें की सभी संबंधितों को उक्त Mobile Set स्वंय खरीदकर निगम मुख्यालय में विपत्र प्रस्तुत करें ताकि उक्त राशि की प्रतिपुर्ति किया जा सके।

(कार्रवाई–महाप्रबंधक, प्रशासन)

6. निगम के PMIS तथा CPWD के PMIS की तुलनात्मक अध्ययन कर निगम के PMIS को बेहतर बनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय जिसके लिये तीन माह का समय निर्धारित किया गया।

(कार्रवाई–आई0टी0 मैनेजर)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(प्रबंध निदेशक)
बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना

ज्ञापांकः– 1051 दिनांकः– 09/05/16
प्रतिलिपिः मुख्य महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधकों (बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0), पी0आई0यू0 के उपमहाप्रबंधकों एवं संबंधित पदाधिकारियों (बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0) को आवश्यक कार्यार्थ प्रेशित।

(प्रबंध निदेशक)
बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना

ज्ञापांकः– 1051 दिनांकः– 09/05/16
प्रतिलिपि : विकास आयुक्त, बिहार, पटना–सह–अध्यक्ष, (बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0) को सादर सूचनार्थ समर्पित ।

(प्रबंध निदेशक)
बि0रा0भ0नि0नि0लि0, पटना